भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

DST@ 1971-2021
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Save Paper.
Save Trees.
Save the World.

दूरभाष : 0135-2747051-58
Telephone : 0135-2747051-58
फैक्स / Fax : 0135-2741250
ई–मेल/E-mail
For Adm - dmadc.soi@nic.in
For Estate – estate.madc.soi@gov.in

निदेशक
मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र
DIRECTOR,
MAP ARCHIVE & DISSEMINATION CENTRE
डाक बक्स सं० , POST BOX No.37,
हाथीबड़कला ,देहरादून–248001 (उत्तराखण्ड)–भारत
DEHRADUN-248001(Uttarakhand)-INDIA

इस पत्र का उत्तर निदेशक, मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र के पते से भेजना चाहिए, किसी अधिकारी के नाम से नहीं उत्तर देते समय इस पत्र की संख्या और दिनांक भी हमेशा दी जानी चाहिए
Any reply to this letter should be addressed to the Director Map Archive & Dissemination Centre, and not to any officer by Name. The No. & Date of this letter should be quoted

सं० सम्पदा - 2865 /13-के-ए (Vol.21) दिनांक १५ -12-2021

अधिसूचना

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सरकारी आवासों के आवंटन नियम 2010 के अ० नि० 317-ए० एच० 2/ ख एवं ग के अंतर्गत हाथीबड्कला एस्टेट के सरकारी आवासों का आवंटन, वर्ष 2022 के लिए दिनांक 01-01-2022 से 31-12-2022 तक की अवधि के लिये अधिसूचित किया जाता है|

उपरोक्त में आवासों के सभी उपलब्ध टाइप (II से V) के आवंटन के लिये आवेदन पत्र उचित माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे, जिसके संबंध में यदि आवंटन आवेदन खाली आवासों की संख्या से अधिक प्राप्त होते हैं, तो आवश्यकता पड़ने पर विस्तृत वरिष्ठता प्रतीक्षा सूची जारी की जायेगी | जिन अधिकारियों / कर्मचारियों ने आवंटन वर्ष 2021 में आवासों के लिये आवेदन किया था, उनकी प्रतीक्षा सूची / आवंटन आवेदन दिनांक 31-12-2021 को निरस्त कर दी जायेगी, यदि वे पुनः आवास लेने के इच्छुक हैं, तो उन्हें नये आवंटन वर्ष 2022 के लिये फिर से निर्धारित फॉर्म भरकर आवेदन देना होगा | परिवर्तन प्रतीक्षा सूची यथावत रहेगी |

आवंटन वर्ष 2022 के लिये आवेदनों को नियमों के अंतर्गत, आवश्यक नई प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी जिसके आधार वर्ष 2022 में आवासों का आवंटन होगा | प्रतीक्षा सूची केवल 15-01-2022 तक प्राप्त होने वाले आवेदनों के लिये ही बनायी जायेगी | **टाइप-I के आवास उपलब्ध नहीं होने के कारण, इस टाइप के पात्र विभागीय कर्मचारियों की सशर्त आधार पर टाइप-II आवासों के लिये आवेदन कर सकते हैं |** टाइप-II के पात्र आवेदकों के आवंटन के पश्चात सशर्त आधार पर आवंटन किया जायेगा | पात्रतानुसार पे-लेवल निम्नानुसार है |

टाइप II के लिये लेवल – 2 से 5,

टाइप III के लिये लेवल – 6 से 8,

टाइप IV के लिये लेवल – 9 से 11,

टाइप IV के विशेष (E-Type) के लिये लेवल – 11

टाइप V के लिये लेवल – 12 से 13 तक व इससे ऊपर

सभी आवास आवंटन आवेदन निर्धारित फॉर्म (फॉर्म सं० 2) के अनुसार ही मान्य होंगे। यह फॉर्म इस कार्यालय से अथवा विभाग की वैबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं। कृपया सभी फॉर्म उचित माध्यम से पूर्ण रूप से भरे हुए (आवश्यकतानुसार Contingent Service की half service को जोड़ने के पश्चात ही निर्धारित फॉर्म का कॉलम 8 भरा होना चाहिये) इस कार्यालय के सम्पदा अनुभाग को भेजे जायें, अपूर्ण भरे गये आवंटन फॉर्म पर विचार नहीं किया जायेगा तथा वह स्वतः निरस्त समझे जायेंगे। किसी एक टाइप के लिये अधिसूचित अवधि में एक बार ही आवेदन किया जा सकता है।

इस अधिसूचना को समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों में परिचालित करने का उत्तरदायित्व संबन्धित कार्यालय अध्यक्ष का होगा।

(राकेश सिंह)
कर्नल
निदेशक
मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केंद्र

प्रतिलिपि :
(1) भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून।
(2) अपर महासर्वेक्षक, विशिष्ट क्षेत्र, देहरादून।
(3) निदेशक, मानचित्र प्रकाशन निदेशालय।
(4) निदेशक, उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उ० प्र० भू० स्था० आं० केंद्र, देहरादून।
(5) निदेशक, अंकीय मानचित्रण केंद्र।
(6) निदेशक, ज्योडिय एवं अनुसंधान शाखा, देहरादून।
(7) निदेशक, राष्ट्रीय भू-स्था० आं० केंद्र, देहरादून।
(8) स्थापना एवं लेखाधिकारी, मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केंद्र।
(9) वरिष्ठ लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, देहरादून।
(10) प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय नं० 2, हाथीबड्कला, देहरादून।
(11) इंचार्ज, वैबसाइट, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (SGO) को इस आग्रह के साथ, कि इस सूचना को वैबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।